



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2018/ आश्विन 5, 1940

No. 319]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2018/ASVINA 5, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

सं. 41/2015-2020

विषय:- भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के परिशिष्ट 3ख में संशोधन।

सं. 01/61/180/34/ए एम 19/पी सी-3.—समय समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा परिशिष्ट 3ख तालिका 2 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. एमईआईएस के अंतर्गत इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से 12.01.2019 के बीच किए जाने वाले निर्यात हेतु परिशिष्ट 3ख तालिका 2 में निम्नलिखित उत्पादों/आईटीसी एचएस कोडों की दरों को तत्काल प्रभाव से मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाता है।

एमईआईएस क्रम सं०	एचएस कोड	विवरण
(1)	(2)	(3)
113	0406 30 00	संसाधित चीज ग्रेटेड या पाउडर नहीं
114	0406 90 00	अन्य चीज
8022	0401 10 00	वजन से वसा की मात्रा 1 प्रतिशत से अधिक नहीं
8023	0401 20 00	वजन से वसा की मात्रा 1 प्रतिशत से अधिक परंतु 6 प्रतिशत से अधिक नहीं
8024	0401 40 00	वजन से वसा की मात्रा 6 प्रतिशत से अधिक परंतु 10 प्रतिशत से अधिक नहीं
8025	0401 50 00	वजन से वसा की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक
8026	0402 10 10	स्कमड मिल्क
8027	0402 10 20	शिशुओं के लिए दुग्ध आहार

8028	0402 10 90	अन्य
8029	0402 21 00	अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठी सामग्री नहीं मिलाई गई है
8030	0402 29 10	सम्पूर्ण दूध
8031	0402 29 20	शिशुओं के लिए दुग्ध
8032	0402 29 90	अन्य
8033	0402 91 10	कंडेस्ड मिल्क
8034	0402 91 90	अन्य
8035	0402 99 10	सम्पूर्ण दूध
8036	0402 99 20	कंडेस्ड मिल्क
8037	0402 99 90	अन्य
8038	0403 10 00	दही
8039	0403 90 10	बटर मिल्क
8040	0403 90 90	अन्य
8041	0404 10 10	व्हे, कॉन्सन्ट्रेटेड, इवैपोरेटेड या कंडेस्ड, लिक्विड या सेमी लिक्विड
8042	0404 10 20	व्हे, ड्राई, ब्लॉक और पाउडर रूप में
8043	0404 10 90	अन्य
8044	0404 90 00	अन्य
8048	0406 10 00	फ्रेश (अनराइपन्ड या अनक्योर्ड) चीज व्हे चीज और कर्ड सहित
8049	0406 20 00	सभी प्रकार के ग्रेटेड या पाउडर चीज
8050	0406 4000	ब्लू-वेन्ड चीज और अन्य चीज जिसमें पेनिसिलियम रोकफॉर्टी द्वारा उत्पादित वेन की मात्रा हो

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: कुछ मदों हेतु इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 12.01.2019 तक किए जाने वाले निर्यात हेतु एमईआईएस लाभ को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एव. पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 27th September, 2018

41/2015-2020

F. No. 01/61/180/34/AM19/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Appendix 3B Table 2, as amended from time to time.

2. The rates of the following products/ ITC HS Codes under MEIS are enhanced to 20% from the current 10% in the Appendix 3B, Table 2 for exports made between the date of issue of this public Notice to 12.01.2019.

MEIS Sl no.	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
113	0406 30 00	Processed Cheese not grated or powdered
114	0406 90 00	Other cheese
8022	0401 10 00	Of a fat content, by weight, not exceeding 1%
8023	0401 20 00	Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%
8024	0401 40 00	Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding 10%
8025	0401 50 00	Of a fat content, by weight, exceeding 10%
8026	0402 10 10	Skimmed Milk
8027	0402 10 20	Milk food for babies
8028	0402 10 90	Other
8029	0402 21 00	Not containing added sugar or other sweetening matte
8030	0402 29 10	Whole milk
8031	0402 29 20	Milk for babies
8032	0402 29 90	Other
8033	0402 91 10	Condensed milk
8034	0402 91 90	Other
8035	0402 99 10	Whole Milk
8036	0402 99 20	Condensed Milk
8037	0402 99 90	Other
8038	0403 10 00	Yogurt
8039	0403 90 10	Butter milk
8040	0403 90 90	Other
8041	0404 10 10	Whey, concentrated, evaporated or condensed, liquid or semi-solid
8042	0404 10 20	Whey, dry, blocks and powdered
8043	0404 10 90	Other
8044	0404 90 00	Other
8048	0406 10 00	Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese and curd
8049	0406 20 00	Grated or powdered cheese, of all kinds
8050	0406 40 00	Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by <i>Penicillium roqueforti</i>

Effect of this Public Notice: The MEIS benefit for certain items have been enhanced to 20%, from the current 10%, for exports made from the date of publication of this Public Notice to 12.01.2019

ALOK VARDHAN CHATURVEDI,
Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.